UPAG010061302026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–7, आगरा।

उपस्थित : सुरजन सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06370

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2600/2026

जाहिद पुत्र अफसर अली उर्फ मुन्ना उर्फ पद्दो, उम्र करीब 45 वर्ष,
निवासी–24/356, नई बस्ती, कोतवाली, थाना कोतवाली, जिला आगरा।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 30/2005
धारा–147,323,427,436,452,504 भा0द0सं0
7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम
थाना–छत्ता, जिला आगरा।
दण्डवाद सं0 1644/2011

दिनांकः 22.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त जाहिद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–30/2005, अन्तर्गत धारा–147,323,427,436,452,504 भा0द0सं0 व धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम थाना–छत्ता, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के भाई/पैरोकार शाहिद अली के शपथ पत्र से समर्थित है, जिसमें यह वर्णित है कि यह प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा पीड़िता द्वारा थाना छत्ता, जिला आगरा पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि– वादिया मकान नं0 29/74, कश्मीरी बाजार, थाना छत्ता आगरा की रहने वाली है। तारीख 24.02.2005 को समय करीब 10.15 बजे सुबह मुजाहिद, गुड्डू, गुड्डे, अजमत, कुचरू निवासीगण नई वस्ती व चंचल उस्मानी निवासी गुदडी मन्सूर खॉ तथा इनके 15–20 अन्य साथी जिनको हम सामने आने पर भली भॉति पहचान सकते हैं। इकट्ठे होकर गाली–गलौज करते हुए उसके घर में घुस आये और उसके घर के वर्तन, कपडे, रुपया, पैसा आदि को अस्त व्यस्त व तोड़फोड करते हुए तथा हाथापाई करते हुए समस्त सामान सड़क पर फैंक कर आग लगा दी। वह बचाओं के लिए चिल्लाती रही किन्तु मुल्जिमान के डर के कारण कोई भी व्यक्ति बचाने नहीं आया बल्कि अपने मकान, दुकान बन्द करके भागने लगे।

4. वादिया मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण असमत, कुचरू, जाहिद, मुहजादि, गुड्डू, गुड्डे, चंचल उस्मानी व 15–20 अन्य साथी के विरूद्ध थाना छत्ता, आगरा पर मु0अ0सं0 30/2005 धारा–147,452,436,504,427,323 भा0द0सं0 व धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण गुड्डे, चंचन उस्मानी व जाहिद के विरूद्ध धारा 147,323,427,436,452,504 भा0द0सं0 व धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि वादिया द्वारा अपने निवास स्थान पर वैश्यावृति करके कोठे का संचालन किया जा रहा

था तथा अन्य महिलाऐं भी इस धन्धे में लिप्त थी। मौहल्ले में बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। कई बार पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस वाले उसके सपोट में बोलते थे। जब पुलिस ने कोठे बन्द नहीं कराये तब एकत्रित होकर सभी मौहल्ले वालों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने वादिया से मिलकर फर्जी घटना बनाते हुए कई मुकदमा दर्ज करा दिये। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त केस में गवाह बनाने के लिए नाम लिखकर ले गये थे। घटना में किसी के कोई चोट नहीं आयी है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा वादिया के घर में एक राय होकर घुसकर तोडफोड की गई और वादिया के सामान को आग लगा कर रिष्टि कारित की, मारपीट करते हुए गाली–गलौज कर अपमानित किया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ वादिया के घर में एक राय होकर घुसकर तोडफोड करने और वादिया के सामान को आग लगा कर रिष्टि कारित करने, मारपीट करते हुए गाली–गलौज कर अपमानित करने का आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सह अभियुक्त की पूर्व में सत्र न्यायालय से जमानत स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 436 भा0द0सं0 के अतिरिक्त अन्य सभी आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त जाहिद का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :–

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगें तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगें तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में सम्बन्धित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

ह0

दिनांक 22.06.2026

(सुरजन सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–7,
आगरा।